VO SAC
प्रशिक्षण मोड्यूल

प्रशिक्षकों के लिए मार्गदर्शिका

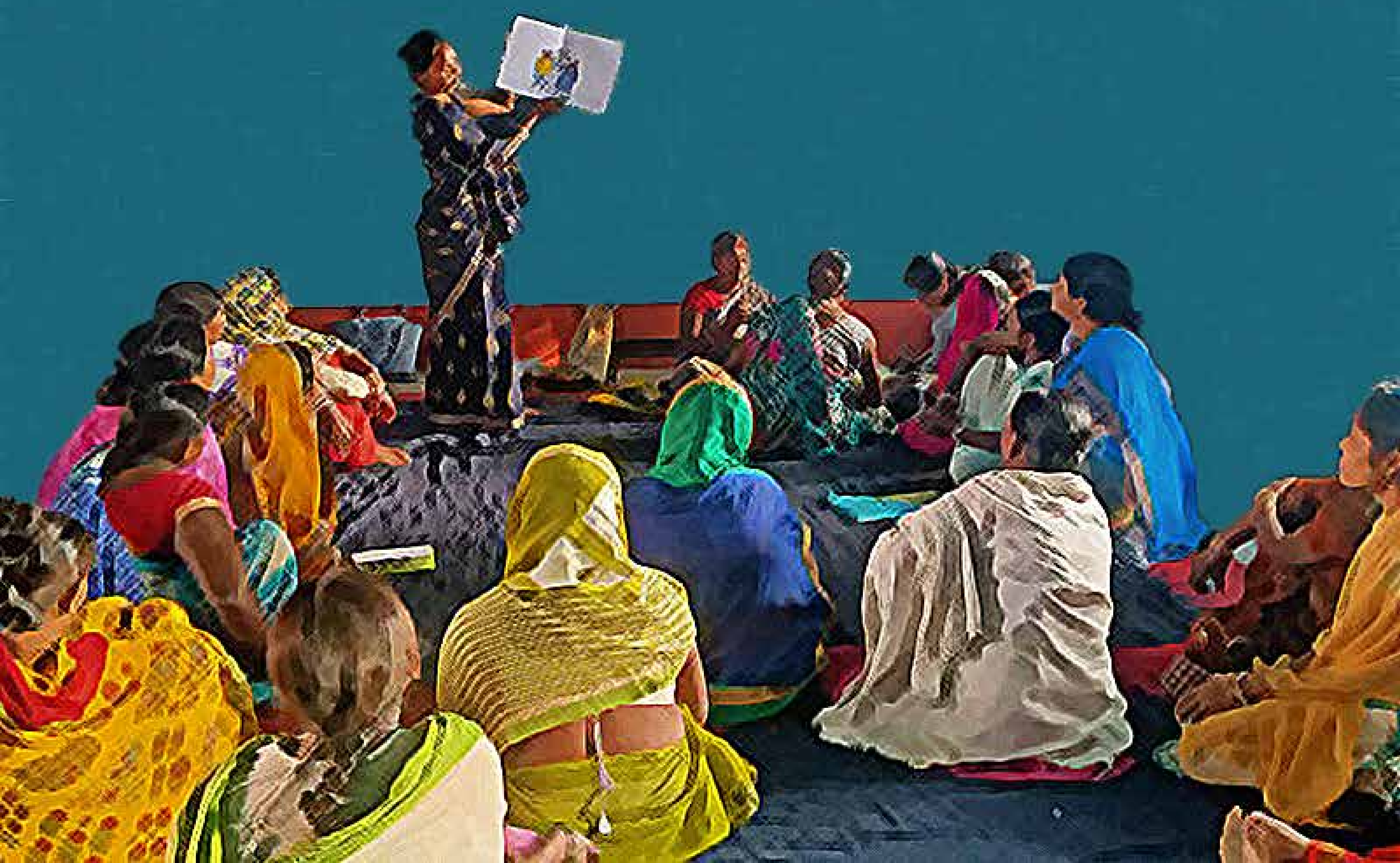

आभार

VO SAC प्रशिक्षण मार्गदर्शिका के रुप में विकसित करने में बहुतों का सहयोग मिला जिसकी बदौलत यह प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण क्षमता वर्धन में काफी मददगार सिद्ध हो रहा है |

सर्वप्रथम हम BMGF का आभार प्रकट करना चाहते हैं; NRLM के तहत GROW एक Pilot Project के रुप में BMGF के ही वित सहयोग से ही अग्रसर हो रहा है | महिला सशक्तिकरण तथा उनकी संस्थानों को संवेदनशील बनाने की ओर यह एक महत्वपूर्ण कदम है | इसकी परिकल्पना में महिला-पुरुष बराबरी एवं सामाजिक न्याय सर्वोपरि हैं |

हम SWAYAM Partners के प्रति शुक्रगुजार हैं, उनके दिशानिर्देश एवं अनुमति के बिना ये मार्गदर्शिका सम्भव नहीं था | समय-समय पर उनके महत्वपूर्ण सुझाव एवं मार्गदर्शन इस pilot project को सही दिशा में ले जाने में बहुत मददगार सिद्ध हुए हैं |

हम JSLPS का भी तहे दिल से धन्यवाद् अदा करना चाहते हैं; प्रवर्तक संस्था के रुप में JSLPS ने वृहत तौर पर स्वयं सहायता समूहों की संस्थानों का गठन किया है | उन्ही मजबूत संस्थानों की बुनियाद पर इस प्रकार के pilot project की सफलता सम्भव है | GROW के लिए प्रयोगशाला प्रदान करने तथा सक्रिय सहयोगी संस्था की भूमिका अदा करने के लिए कोटि-कोटि धन्यवाद |

हम सभी BRP दीदियों का भी शुक्रगुजार हैं जिनके अनुभव एवं सीख के आधार पर प्रशिक्षण मोड्यूल में फेर-बदल कर उसे बेहतर बनाने में मदद मिली |

अंत में हम सहयोगी संस्था 'जागोरी' एवं 'प्रदान' का भी आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने सयुक्त रुप से प्रशिक्षण मोड्यूल की मार्गदर्शिका तैयार कर संकलित किया है | आशा है ये मार्गदर्शिका VO-SAC सदस्यों को सशक्त करने में तथा उनके मुद्दों को अपने स्तर पर सुलझाने में सक्षम बनाएगा |

विषय सूची

VO SAC प्रशिक्षण मोड्यूल

प्रशिक्षण का उद्देश्य 1

प्रशिक्षण का ढाँचा 2

प्रशिक्षण देने से पूर्व कुछ ख़ास बातों पर ध्यान 3

प्रशिक्षण मोड्यूल : प्रथम दिन

उद्देश्य 4

प्रशिक्षण प्रारूप दिन- 1 5

उद्घाटन सत्र 6

(सत्र-1) संगठन से जुड़ने के बाद अपनी ज़िंदगी में बदलाव और सामाजिक सामाजिक लिंग भेदभाव, जाति एवं आर्थिक श्रेणी पर आधारित भेद-भाव पर समझ बनाना 7

(सत्र-2) सामूहिकता की शक्ति एवं VO का उद्देश्य 8

(सत्र-3) जेंडर, जाति एवं आर्थिक श्रेणी के आधार पर भेदभाव 10

(सत्र-4) अति गरीब एवं हाशिए पर रह रहे लोगों की पहुँच सरकारी योजना तक समानता और न्याय 16

प्रशिक्षण मोड्यूल: दूसरा दिन

उद्देश्य 18

प्रशिक्षण प्रारूप दिन- 2 19

(सत्र-1) मौलिक अधिकार, नागरिकता, ग्राम सभा एवं सरकारी योजना तक पहुँच 20

(सत्र-2) सरकारी संस्थान एवं उससे जुड़े हमारी पहुँच, नियंत्रण एवं निर्णय लेने की भूमिका 26

(सत्र-3) इन संस्थानों के साथ आगे के कार्य के लिए कार्य योजना 26

प्रशिक्षण मोड्यूल: तीसरा दिन

उद्देश्य 28

प्रशिक्षण प्रारूप दिन- 3 29

(सत्र-1) सरकारी योजना एवं उनसे जुड़े लाभ 30

(सत्र-2) महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा से जुड़े क़ानून और उनके प्रावधान, कैसे पीड़िता को मदद करें, हेल्पलाइन नम्बर और सहयोग करने वाले संस्थान 31

(सत्र-3) SAC की आगे की कार्य योजना, बैठकी का नियम और समय निर्धारित करना, और मुद्दों की पहचान और उन पर काम करने की रणनीति 31

VO SAC प्रशिक्षण मोड्यूल

यह प्रशिक्षण गाइड VO SAC प्रशिक्षण के लिए है जो कि BRP एवं अन्य प्रशिक्षक को मदद करेगा। इस गाइड के माध्यम से प्रशिक्षक को पूरे प्रशिक्षण की प्रक्रिया एवं विषय वस्तु पर एक समझ मिलेगी जो VA SAC के सदस्यों को अपने ज़िम्मेदारी निभाने के लिए ज़रूरी है। यह प्रशिक्षण तीन अलग अलग दिनों के लिए है, जो कि एक सप्ताह के अंतराल पर VO SAC के सदस्यों को गाँव स्तर पर ही दी जाएगी। इस गाइड के साथ दिए गए पोस्टर एवं अन्य प्रशिक्षण सामग्री भी प्रशिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है, जो प्रशिक्षक को अपने साथ रखना है।

प्रशिक्षण का उद्देश्य

स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं के स्थिति का आंकलन एवं सामाजिक लिंग भेदभाव, जाति एवं आर्थिक श्रेणी पर आधारित भेद-भाव पर समझ और अनुभव साँझा करना |

सामाजिक संस्थागत ढाँचा- CLF SAC, VO SAC, बदलाव दीदी, बदलाव मंच पर उनके उद्देश्यों एवं ज़िम्मेदारी को लेकर एक समझ बनाना |

मौलिक अधिकार एवं उससे जुड़े महिलाओं के लिए संवैधानिक अधिकार, सरकारी योजना और उससे जुड़े महिलाओं की पहुँच एवं नियंत्रण पर समझ एवं विचार करना |

महिलाओं के ख़िलाफ़ हो रहे हिंसा को समझना एवं उससे जुड़े क़ानूनी व्यवस्था और मदद के बारे में जानना |

SAC का उद्देश्य, ज़िम्मेदारी एवं कार्य योजना के बारे में समझ और आगे की योजना बनाना |

प्रशिक्षण का ढाँचा

पहला दिन

सेशन-1
संगठन से जुड़ने के बाद अपनी ज़िंदगी में बदलाव और सामाजिक सामाजिक लिंग भेदभाव, जाति एवं आर्थिक श्रेणी पर आधारित भेद-भाव पर समझ बनाना

सेशन-2
सामूहिकता की शक्ति एवं VO का उद्देश्य

सेशन-3
जेंडर, जाति एवं आर्थिक श्रेणी के आधार पर भेदभाव

सेशन-4
अति गरीब एवं हाशिए पर रह रहे लोगों की पहुँच सरकारी योजना तक समानता और न्याय

दूसरा दिन

सेशन-1
मौलिक अधिकार, नागरिकता, ग्राम सभा एवं सरकारी योजना तक पहुँच

सेशन-2
सरकारी संस्थान एवं उससे जुड़े हमारी पहुँच, नियंत्रण एवं निर्णय लेने की भूमिका

सेशन-3
इन संस्थानों के साथ आगे के कार्य के लिए कार्य योजना

तीसरा दिन

सेशन-1
सरकारी योजना एवं उनसे जुड़े लाभ, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ग़रीब एवं ज़रुरतमंद लोगों तक पहुँच सकते है

सेशन-2
महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा से जुड़े क़ानून और उनके प्रावधान, कैसे पीड़िता को मदद करें, हेल्पलाइन नम्बर और सहयोग करने वाले संस्थान

सेशन-3
SAC की आगे की कार्य योजना, बैठकी का नियम और समय निर्धारित करना, और मुद्दों की पहचान और उन पर काम करने की रणनीति

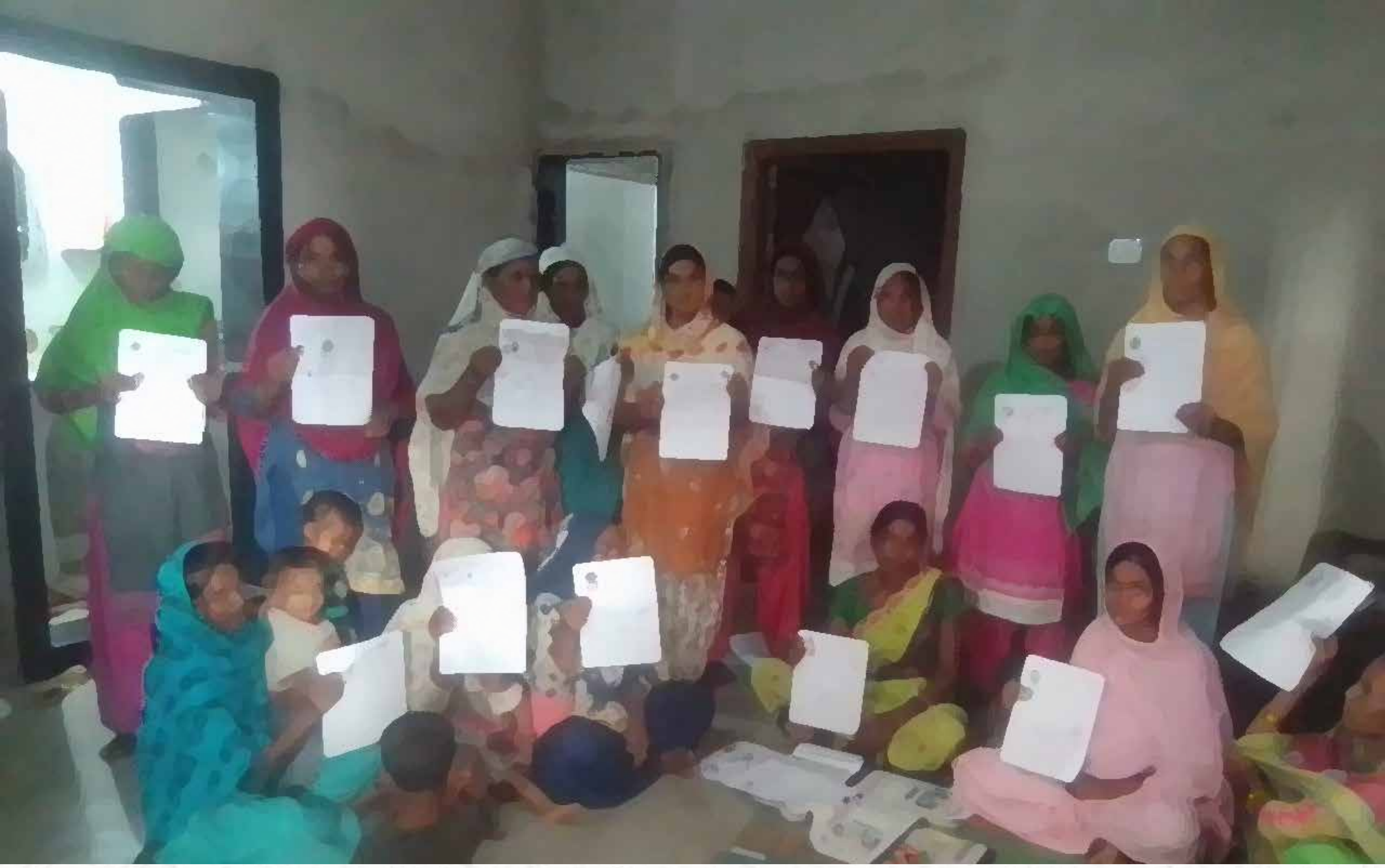

प्रशिक्षण देने से पूर्व कुछ ख़ास बातों पर ध्यान

VO SAC प्रशिक्षण से पहले SAC सदस्यों का चुनाव सही प्रक्रिया से हो जाना चाहिए ताकि बाद में सदस्य छोड़ के ना जाए।

VO का MGLC प्रशिक्षण हो जाना चाहिए ताकि सदस्य जेंडर, हिंसा से जुड़ी बातचीत को बढ़िया से समझ सके।

प्रशिक्षण का समय एवं स्थान VO बैठकी में निर्धारित हो जाना चाहिए।

तीनों दिन का तारीख और समय एक साथ ही तय करने से प्रशिक्षक को आसानी होगी।

प्रशिक्षण मोड्यूल : प्रथम दिन

उद्देश्य

समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया है और किस प्रकार की चुनौतियाँ आज भी उनके ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, इस पर समझ विकसित करना।

समूह की शक्ति पर समझ विकसित करना।

लिंग, जाति, वर्ग आधारित भेदभाव के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति पर समझ बढ़ाना

उद्देश्य

दिन1 -	विषय-वस्तु	क्रियाविधि	समय
उद्घाटन सत्र	परिचय और गीत तीन चरणों में होनेवाले VO-SAC प्रशिक्षण का उद्देश्य साझा करना	चर्चा एवं व्यक्तिगत अनुभव साझाकरण	20 मिनट
सत्र-1	संगठन ने उनके जीवन को कैसे प्रभावित किया है, इस पर संयुक्त समझ विकसित करना –अपनी जिंदगी के सफ़र को दुबारा पलट कर झाँकना	अलग अलग कार्यों या चर्चा के माध्यम संगठन ने उनके जीवन से व्यक्तिगत जीवन चिंतन और अनुभवों को कैसे प्रभावित किया है, को साझा करना- (जैसे समूह में शामिल इस पर संयुक्त समझ होना, एकजुटता या एकता की भावना, विकसित करना - अपनी भावनात्मक समर्थन, वित्तीय सहायता जिंदगी के सफ़र को दुबारा आदि के मामले में पारस्परिक समर्थन, पलट कर झाँकना एवं समूह और सामूहिकता के महत्व को कैसे आगे लें)	40 मिनट
सत्र-2	VO के व्यापक उद्देश्य VO का उद्देश्य– सामूहिकता की शक्ति	"समूह की शक्ति" के लिए मेमोरी गेम चर्चा और बड़े उद्देश्य की पहचान करना	30 मिनट
सत्र-3	लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी पर आधारित भेदभाव के रूप पितृसत्ता और उसके प्रभाव हिंसा का जीवन चक्र और उसके अलग अलग रूप	MGLC पर चिंतन, प्रमुख मुद्दों की पहचान और कारण मौजूदा लिंग, जाति, वर्ग आधारित भेदभाव और अपने स्वयं के जीवन से अनुभव साझा करना, कुछ मामलों का विश्लेषण लिंग और जाति के भेदभाव पर पोस्टर दिखाना VAW के रुपों पर पोस्टर और हिंसा का चक्र दिखाकर समझ बढ़ाना	80 मिनट
सत्र-4	सीमांकन और पहुंच लैंगिक समता और समानता	खेल - (कँचा खेल / अन्य सामग्रियों के साथ बेहतर खेल विकसित करना) समता और समानता के लिए पोस्टर	40 मिनट

उद्घाटन सत्र

अभिवादन के बाद, प्रतिभागियों को नाम, समूह का नाम और उनके पदनाम द्वारा अपना परिचय देने के लिए कहें और अपना परिचय भी दें।

फिर बोलें- हम एक गीत गाएँ (‘तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहनें आती हैं’ या और कोई) फिर बताएं, "अपने परिचय के दौरान आप लोगों ने कहा कि आप VO-SAC सदस्य हैं, इसका क्या मतलब है?" कुछ प्रतिक्रियाएं मिलने के बाद, इसे समेकित करें|

फिर VO-SAC प्रशिक्षण के उद्देश्य को साझा करें।

VO-SAC सामाजिक लिंग और अन्य सामाजिक मुद्दों को धरातल पर लाने और VO बैठकों के नोटिस और एजेंडे में शामिल करने के लिए है |

VO की सभी बैठकों में सामाजिक एजेंडा और मुद्दों पर चर्चा के लिए प्रेरित करना |

VO की प्रत्येक बैठक में जेंडर प्रतिज्ञा का दुहरावा |

रिपोर्ट किए गए केस या अन्य मुद्दों पर चर्चा और हल करने के रास्ते निकलना |

अगर VO द्वारा मुद्दे हल नहीं किया जा सकता है तो मामलों को CLF तक पहुँचाना |

01 सत्र

(40 मिनट)

संगठन ने उनके जीवन को कैसे प्रभावित किया है, इस पर संयुक्त समझ विकसित करना और अपने ज़िंदगी से जुड़े चुनौती एवं अन्य पहलुओं को साँझा करना

पद्धति : “समूह से जुड़ा अपना सफ़र”

सभी प्रतिभागियों को ध्यानासन की मुद्रा में आराम से बैठ जाने को कहें। अपनी आँखें बंद कर लें और अपनी कल्पना में आज से 4-5 वर्ष पूर्व जाने को कहें। कल्पना में अपने घर के अहाते में वो सभी चीजों को गौर से देखें; आपके घर की स्थिति, आपके परिवार के सदस्य, उनका पहनावा, घर के सामान। सभी चीजों को गौर से देखें।

"वो दिन याद करें जब आपने पहली बार शायद SHG के बारे सुना था। वो अनजान लोग जो आपको SHG के बारे में बता रहे थे, उन पर शायद आपका तनिक भी विश्वास न था। फिर भी शायद आपने आधे मन से उनकी बात रखने मात्र के लिए SHG का गठन किया होगा। फिर हर सप्ताह ग्रुप की बैठक होने लगी, आप कुछ बचत करने लगे, कुछ आपस में लेन देन करने लगे, फिर शायद आपके ग्रुप में RF का पैसा आया होगा। ये पैसा देखकर शायद थोड़ा विश्वास मजबूत हुआ होगा। फिर ग्राम संगठन का गठन हुआ होगा, कुछ CIF का पैसा आया होगा और फिर जब आपका लेन- देन बढ़ा तो CC लोन भी मिला होगा। कुछ आजीविका के संसाधन का विकास हुआ होगा। ये सभी घटनाक्रम एक फिल्म के रील की तरह आपके मानस पटल पर उतर गयी और आप वो सब चीजें देख, समझ और पुनः अनुभव कर पाए।

इसी क्रम में आपके अन्दर सामाजिक गुणों को पहचानते हुए ग्रुप दीदियों ने आपको सामाजिक उपसमिति सदस्य के रुप में चुना, और आप यहाँ इस प्रशिक्षण में विद्यमान हैं।

आप इन यादों में कुछ समय तक मनन ध्यान करें... इधर- उधर कि बातों से बचे रहें। अपना मन इन्ही घटना क्रम पर लगाये रहें, इस बात पर भी विचार करें के इन विगत वर्षों में हमने क्या पाया है? मैं कहाँ थी और अब कहाँ पहुँच गयी हूँ? मैं कैसा अनुभव कर रही हूँ? अपने अन्दर उत्पन होने वाली भावनाओं को महसूस करने का प्रयास करें।"

दो - तीन मिनट तक मौन रह कर उन्हें धीरे से अपनी आँखें खोलने को कहें। उदहारण के तौर पर कुछ लोगों को अपना अनुभव साझा करने को कहें। इनके अनुभव में से कुछ भावों को नोट कर लें तथा अंत में ग्रुप का भाव का समेकन करें।

02 सत्र

(30 मिनट)

VO के व्यापक उद्देश्य पर समझ बढ़ाना
सामूहिकता की शक्ति पर समझ बढ़ाना

आवश्यक सामग्री-

एक थैले में 10-12 सामान जो कि रोज़ाना ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं जैसे- बिंदी, रबरबैंड, बालों का क्लिप, चम्मच, चूड़ी, पत्ता, पेन का ढक्कन, काग़ज़ का टुकड़ा इत्यादि

पद्धति : मेमोरी खेल के जरिये 'समूह कि शक्ति' की समझ बढ़ाना

प्रशिक्षक सभी सदस्यों को गोलाई में बैठने को कहे ताकि सभी को बीच की जगह दिखाई दे। फिर सब से बोलें की थैले में रखे सामान को सबके सामने रखेंगे और सभी सदस्यों को ध्यान से देखना है। फिर थैले को सबके सामने ख़ाली करें और सिर्फ़ आधे मिनट के लिए रखे। तुरंत समान को थैले में दुबारा भर के साइड में रख दें। फिर सबसे पूछें कि उनके हिसाब से सबसे होशियार कौन दीदी है? जिनका नाम सब लेंगे उन्हें बाहर ले जाना है। सह – प्रशिक्षक उनसे वहाँ एक लिस्ट बनवाएँगे जो सामान उन्होंने देखा और उन्हें याद है और सिर्फ़ दो मिनट ही देना है। यह लिस्ट चार्ट पेपर में लिखना है। ठीक उसी समय दूसरे प्रशिक्षक अंदर में सभी सदस्यों को पूछते हुए एक और लिस्ट बनवाएँगे और बोर्ड पर लिखेंगे, यहाँ भी समय दो मिनट ही देना है। फिर दोनों लिस्ट सामने रखेंगे और पूछेंगे कौन सी लिस्ट लम्बी है और क्यूँ? चर्चा के बाद समेटेंगे।

समूह द्वारा बनाई गयी लिस्ट लम्बी होगी क्यूँकि यहाँ ज़्यादा आँखें और ज़्यादा दिमाग़ काम कर रहे थे । सभी ने एक दो ही सामान का नाम कहा लेकिन मिलकर लिस्ट लम्बी बनी।

जब हम कोई भी काम सामूहिक रुप से करते हैं तो उसमें सभी अपनी- अपनी सोच और अपनी शक्ति लगाते हैं जो कि उस कार्य को सफलता देती है।

इसके अलावा किसी भी समस्या के हल के लिए भी हमारे पास विकल्प ज़्यादा होते हैं क्यूँकि अलग- अलग विचार आते हैं जिससे समस्या को समझने में आसानी होती है।

सामूहिक ताक़त का मतलब है मिलकर विचार करना और मिलकर काम को अंजाम देना, इसलिए संगठन से जब जुड़ते हैं तो हमारा नज़रिया भी बदलता है और जानकारी भी बढ़ती है।

---

03 सत्र

(30 मिनट)

सामाजिक लिंग, जाति भेदभाव के अन्तर्विरोधी रुपों पर समझ बढ़ाना
महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा के रुप एवं हिंसा चक्र पर समझ बढ़ाना

आवश्यक सामग्री-

सामाजिक लिंग-भेद एवं जाति-भेद पर पोस्टर, महिला-हिंसा (VAW) एवं हिंसा चक्र पर पोस्टर

पद्धति :

प्रतिभागियों से पूछें, "आप में से किसने MGLC में भाग लिया है?" कृपया MGLC के अपने अनुभव को साझा करें- आपने क्या किया? आपने क्या सीखा? आपने कमला -कमली खेल से क्या-क्या सीखा? आपने तराज़ू के खेल से क्या-क्या सीखा?

अनुभव साझा करते समय ध्यानपूर्वक एवं धैर्य से सुनें। फिर सीख को समेकित करें।

कमला-कमली के खेल से हम सीखते हैं कि:

- जेंडर औरत या पुरुष की सामाजिक पहचान है।
- औरत और पुरुष को क्या करना चाहिए और क्या नहीं यह बात जेंडर से तय होती है जो कि समाज के द्वारा बनाए गए है और यह प्राकृतिक नहीं है।
- जेंडर किसी समाज विशेष में औरत और पुरुषों के व्यवहार, भूमिका, जिम्मेदारी, अपेक्षा तथा अधिकारों को तय करता है।

जेंडर अंततः एक 'सांस्कृतिक अवधारणा' का रुप लेने लगता है और यह निर्धारित करने लगता है कि औरत या पुरुष को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए।

जेंडर और सैक्स दो अलग अवधारणाएं हैं |

हम सभी समाजीकरण की इस प्रक्रिया से गुज़रते हैं और पुरुष- महिला की मानी हुई तस्वीर में अपने को फिट करते चलते हैं। सवाल यह है कि क्या हम रीति-रिवाज़ो, क़ायदे-कानूनों को आँखें मूँदकर मानते हुए गैर-बराबरी में जीते रहें या सोचे व पूछें कि क्या जीने के और तरीके नहीं हैं जिसमें महिला -पुरुष सभी चैन और इज़्ज़त की ज़िन्दगी जी सकें?

क्या आप अपने स्तर पर इस ग़ैरबराबरी को खत्म करने के लिए कुछ करना चाहती हैं, अगर चाहती हैं तो क्या व क्यों? ये स्पष्ट करें कि सामाजीकरण अपने आप में समस्या नहीं है। समस्या है भेदभाव की राजनीति। हमारी सामाजीकरण की प्रक्रिया क्या होगी, जो समानता, न्याय और अधिकार की नींव पर खड़ी होगी, न कि भेदभाव और शोषण की। इस पर सोच बनाने की जरुरत है।

तराजू के खेल से हमें यह सीख मिलती है कि औरत पर काम का बोझ ज़्यादा है और उसके काम को कोई नहीं गिनता। उस पर भी उसे सुनना पड़ता है कि तुम आखिर करती क्या हो? हम तुमको लाये हैं तो घर के काम तो करोगी ही? मैं बाहर नहीं कमाऊंगा तो तुम घर चला पाओगी? एक दिन मेरे जैसे काम करके देखो तभी पता चलेगा। अगर वह बाहर भी काम करती है तो पुरुषों की तुलना में उस काम के पैसे कम मिलते हैं। औरत को परिवार के लिए दिन भर काम करने के बाद भी आराम का समय कम मिलता है।

औरत के काम को - चाहे वो खेत-खलिहान में हो, सड़क-कुएँ पर हो या आँगन-रसोई में हो - बराबर इज़्ज़त मिलनी चाहिए। पुरुषों के काम को तो हमेशा मान्यता मिलती है, चाहे वो कितना ही छोटा काम क्यों ना हो। पर औरत के बड़े काम को भी सम्मान नहीं मिलता जबकि खेल में आपने देखा कि हर तरह के काम की अपनी जगह है, ज़िन्दगी बेहतर तरीके से चलाने के लिए दोनों के काम ज़रूरी हैं।

ज़रूरत है कि औरत ख़ुद के काम को महत्व दे, अपने को कमतर न समझे। साथ ही अपने जीवनसाथी से बातचीत करें कि कैसे घरेलु कार्यों में वह भी हाथ बटा सकते हैं, वह भी जरुरी है।

पोस्टर दिखाते हुए चर्चा को आगे बढ़ाएं। लिंग-भेद का पोस्टर दिखाएँ और पूछें, “आप पोस्टर में क्या देखते हैं?” धैर्य से सुनें।

- स्कूल से आने के बाद लड़का खेल रहा है और लड़की घर के काम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ – स्कूल से आने के बाद लड़का और लड़की दोनों खेल रहे हैं।
- प्रतिभागियों से पूछें कि हमारे गाँव-घर में क्या तस्वीर है। हम क्या चाहते हैं?

फिर जाति भेदभाव का पोस्टर दिखाएँ और पूछें, “ पोस्टर में आप क्या देखते हैं?” धैर्य से सुनें।

- एक महिला को नलकूप से पानी लेने की अनुमति नहीं दी जा रही है और एक परिवार को समूह में बैठने की अनुमति नहीं है, वे अलग से बैठे हैं।
- उनसे पूछें – यह महिला कौन है और ये जोड़े कौन हैं।
- प्रतिकियाओं को धैर्यपूर्वक सुनें – महिला और दम्पति निचली जाति के हो सकते हैं।
- प्रतिभागियों से पूछें, “क्या यह हमारे समाज में या हमारे गाँव में भी मौजूद है?”
- सामाजिक लैंगिक भेदभाव के पोस्टर को दिखाकर पूछें कि आप पोस्टर में क्या देखते हैं?
- समाज में किस प्रकार के भेदभाव दिखा?
- क्या हमारे गाँव एवं समाज में भी हमें ऐसा देखने को मिलता है? कुछ उदहारण दीजिए।

प्रतिभागियों से पूछें, “क्या आपने हाल-फ़िलहाल में महिलाओं पर किसी प्रकार की हिंसा की घटना के बारे में सुना है? याद करने का प्रयास करें"

- क्या हमने महिलाओं के प्रति हिंसा के बारे में सुना है?
- क्या होता है महिलाओं के प्रति हिंसा?
- कैसे होता है महिलाओं के साथ हिंसा?

प्रतिभागियों का अनुभव ध्यानपूर्वक सुनें। यदि प्रतिभागियों की ओर से कोई प्रतिक्रया ना आये तो घबराएँ नहीं। फिर उन्हें पूछें कि क्या वे ‘हिंसा चक्र’ और ‘महिला हिंसा के प्रकार/ रुपों’ को याद करते हैं। “तो चलिए हम एक साथ इसे समझें” – उन्हें हिंसा चक्र का पोस्टर दिखाएँ और हिंसा के रुपों के बारे में समझाएं।

हमारा समाज सामाजिक लिंग भेद-भाव, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर बँटा हुआ है। इससे समाज के एक वर्ग के लोग जो कि ऊंची जाति से हैं, पुरुष हैं एवं उनके पास संसाधन की ताकत है, उन्हें हर तरह की सुविधा मिल पाती है और वो अपने ताक़त से समाज के नियमों को भी नियंत्रण करते हैं। जाति एवं लिंग आधारित भेदभाव सबसे ज़्यादा महिलाओं को प्रभावित करता है और उनके अपने ज़िंदगी के बारे में निर्णय लेने के अधिकार को भी प्रभावित करता है।

सामाजिक लिंग भेद-भाव
मुझे भी स्कूल से लौटने के बाद खेलने जाना है
मुझे भी आराम की जरुरत है
क्या हम मिलकर इसे रोक सकते है?
इतना होने से अच्छा रहेगा।
Pradan

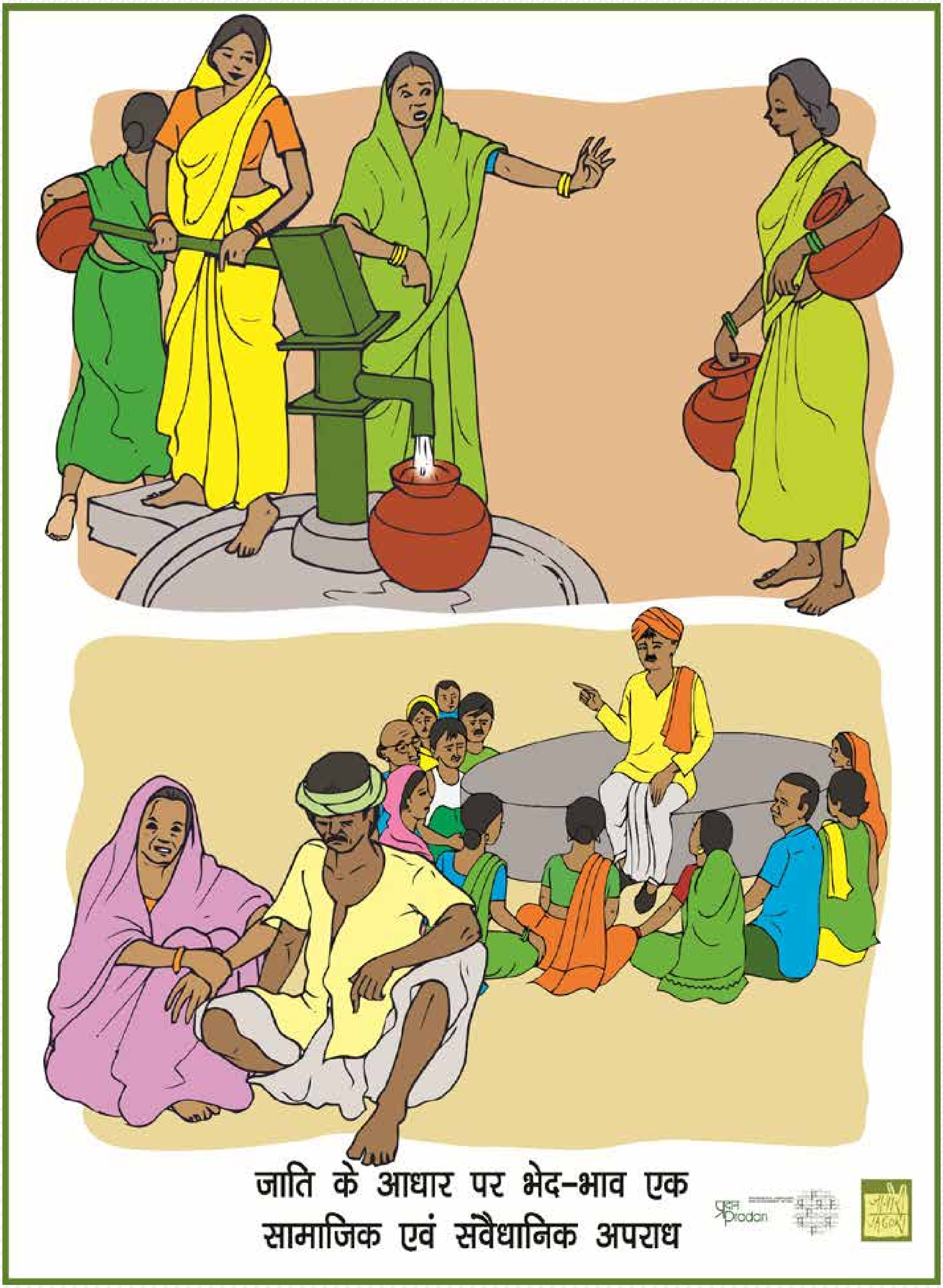
जाति के आधार पर भेद-भाव एक
सामाजिक एवं संवैधानिक अपराध

महिलाओं के ख़िलाफ हिंसा क्या है?

जेण्डर आधारित हिंसा का कोई भी व्यवहार जिसकी वज़ह से महिलाओं को षारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या यौनिक नुकसान पहुंचे या नुकसान पहुंचने की संभावना हो।

United Nations General Assembly Definition, 1993

हिंसा के प्रकार

हाषिए के समुदाय के खिलाफ़ हिंसा: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ट्रांसजेण्डर, विकलांग, यौनकर्मी

मानसम्मान और इज्जत के नाम पर अपराध

आर्थिक हिंसा

सामुदायिक हिंसा

हिरासत में हुई हिंसा

महिलाओं के खिलाफ़ हिंसा एक वैष्विक मानवअधिकार है जिसका असर महिलाओं के स्वास्थ्य, काम, गरिमा और पहचान पर पड़ता है

(Sources: Prevention of violence against women and girls: what does the evidence say? Ellsberg, et al 2014)

04 सत्र

(40 मिनट)

लैंगिक समता और समानता
सीमांकन और पहुंच, किनकी पहुँच कहाँ तक है

आवश्यक सामग्री-

कंचे या काँच की गोली, समता एवं समानता पर पोस्टर

पद्धति:

कमरे के बीच में एक गोला बनाएँ और उसमें 40-50 कंचे रख दें। ध्यान रखें गोला ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। प्रतिभागियों में से चार लोगों को चुनें। गोलाई से तीन फ़ीट दूर एक लकीर खींचे और फिर उस लकीर से तीन फ़ीट दूर एक और लकीर खींचे, इस प्रकार चार लकीर खींचे। चार प्रतिभागियों में से एक प्रतिभागी को पहली लकीर पर खड़ा करें और एक पत्थर से गोलियों को बाहर निकालने को कहें। उसी प्रकार सभी प्रतिभागियों को अलग अलग लकीर से पत्थर से गोलियों को बाहर निकालने को कहें। पत्थर का आकार सबसे पहले लकीर पर सबसे बड़ा, फिर दूसरे पर थोड़ा छोटा और सबसे आखिरी लकीर पर सबसे छोटा। जो जितने कंचे गोले से बाहर निकालेगा उसे उतने कंचे अपने पास रखना है। अंत में सबको पूछें कितने कंचे किसके पास हैं?

फिर सवाल पूछें -

- किसको कितना कंचा मिला बोर्ड पर लिखकर चर्चा करें।
- नजदीक वाले को ज्यादा कंचा क्यों मिला?
- दूर वाले को कम कंचा क्यों मिला?
- अधिक और कम कंचा मिलने के कारणों का तुलनात्मक चर्चा एवं विश्लेषण करें। विश्लेषण के दौरान पत्थर के आकार, भौगोलिक दूरी, हुनर, जागरूकता, जानकारी, शिक्षा, संसाधन, बाधाएं एवं कौशल की महत्ता बताते हुए विकास से सम्बंधित शब्दों जैसे पूंजी, उपलव्धता एवं पहुँच और समता एवं समानता को जोड़ें।

फिर प्रतिभागियों से उनके गांव के सन्दर्भ में पूछें, गांव में क्या यही स्थिति है कि दूर वाले को कोई लाभ नहीं मिलता है और पास वाले को अधिक से अधिक लाभ मिलता है?

- इसके कारण को पूछें- कौन कौन लोग पास हैं? बोर्ड पर चोकोर घेरा बना कर उसमे दर्शाते जायेंगे।
- कौन कौन दूर है, घेरे में दर्शाते जायें।

गोल आकृति के अंदर की गोलियां विकास/ आजीविका के संसाधन एवं विभिन्न आकार के संगमरमर विकास/ आजीविका के संसाधनों को प्राप्त करने का साधन है। समाज में कुछ ही अमीर/ संपन्न लोगों की पहुँच विकास/ आजीविका के संसाधन तक है एवं संसाधनों को प्राप्त करने साधन से वह लोग संपन्न हैं। गरीब एवं ग्रामीण, जिनकी संख्या देश में सबसे अधिक है उनकी न तो संसाधन तक पहुँच है और ना उसे प्राप्त करने हेतु साधन संपन्न हैं। अति गरीब एवं असुरक्षित परिवार संगठित होकर, अपनी सशक्तिकरण एवं विकास कर, विकास/ आजीविका/ हक़ एवं अधिकार के संसाधन तक पहुँच बना कर उसे प्राप्त कर सकते हैं।

विषय: लिंग समानता और न्याय

लिंग समानता और न्याय पर समूह को पोस्टर द्वारा परिचय दें।

समूह में तीन तीन लोगों को 5 मिनट आपस में वार्तालाप करने का मौका दे, जहाँ वे आपस में अपने अनुभव एवं विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। अब वे 10 मिनट में अपनी समझ साझा कर सकते हैं। इसके बाद लिंग समानता एवं समता से अवगत कराना चाहिए। परिभाषा साझा करें और समझाएं। लिंग समता एक प्रक्रिया है जो महिलाओ एवं पुरुषों को एक समान अधिकार प्रदान करती है। महिलाओं के ऐतिहासिक एवं सामाजिक बुराइयों द्वारा शोषण से बचने के लिए योजनाबद्ध तरीके से समानता एवं समता का प्रयोग करना चाहिए। निष्पक्षता से समानता आती है।

समानता एवं समता शब्द का प्रयोग समय के साथ परिवर्तित हुआ है, जबकि समानता एवं समता में अंतर है। समानता का अर्थ सभी को समान अवसर प्रदान करना है, जबकि समता का अर्थ अनुपातिक प्रतिनिधि व्यवहार करना (जाति, वर्ग, लिंग, आदि द्वारा)।

यदि लोगों के मन में कोई संदेह हो तो उन्हें 5 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए ताकि वे अपनी बात रख सकें।

अंत में एक छोटा अभ्यास- लिंग समानता एवं समता के सन्दर्भ में अपने निजी जीवन एवं कामकाजी जीवन में कोई उदाहरण हो तो सोचे और पेश करें (5 मिनट)। सभी को ध्यानपूर्वक सुनना है।

- समता और समानता का पोस्टर दिखाकर लोगों को प्रश्न पूछें कि आपने क्या देखा?
- दोनों पोस्टर में क्या अंतर है?
- उनके उत्तर का इंतजार करें।
- अंत में पोस्टर के जरिये समता और समानता के बारे बताएँ।

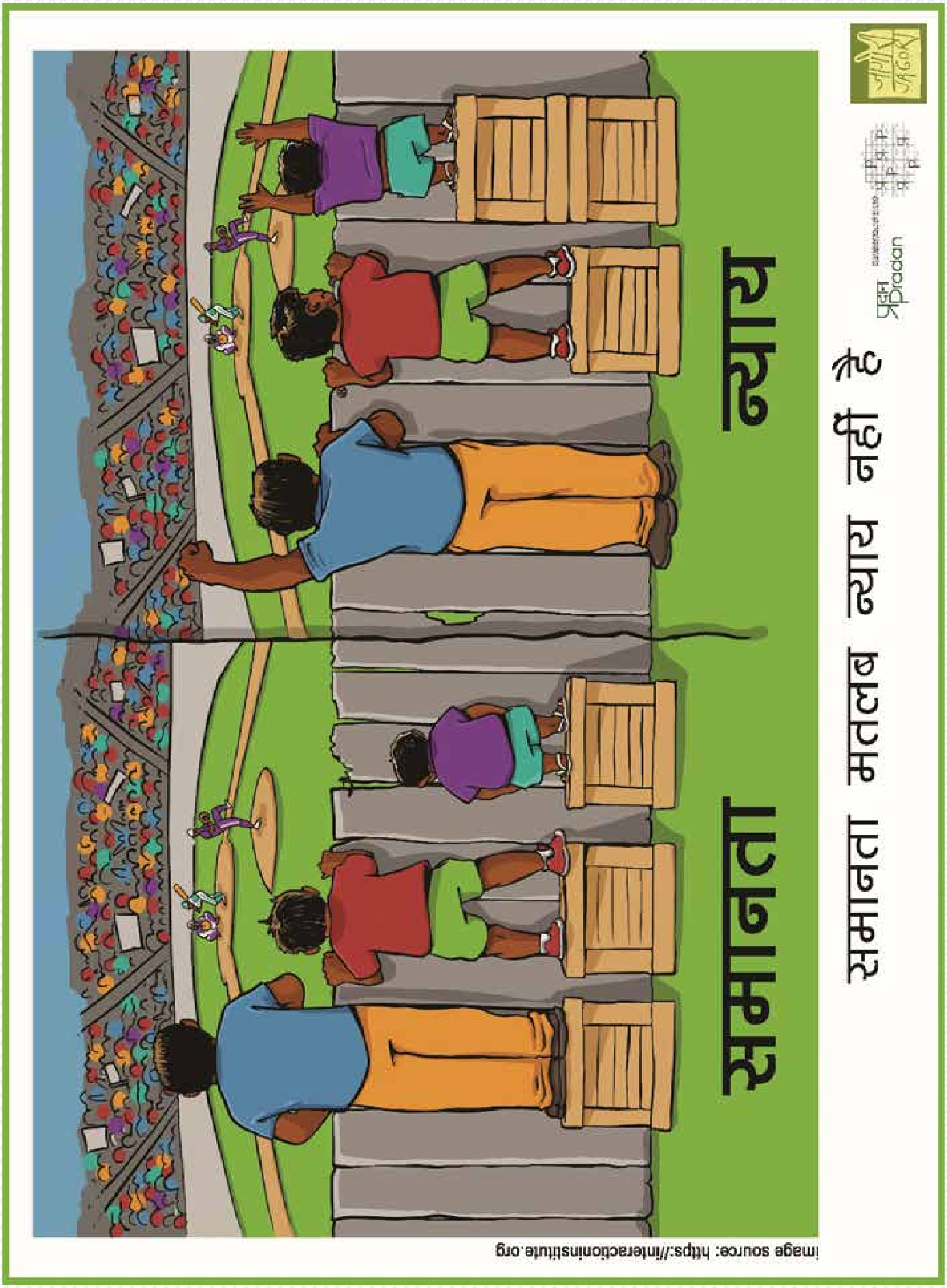
समानता
न्याय
समानता मतलब न्याय नहीं है
image source: https://interactioninstitute.org

प्रशिक्षण मोड्यूल: दूसरा दिन

उद्देश्य

मौलिक अधिकार और उस से जुड़े महिलाओं के अधिकार

सरकारी संस्थान तक पहुँच – निर्णय और जानकारी

ग्राम सभा के बारे में जानकारी और उससे जुड़े अधिकार एवं महिलाओं की भागीदारी

प्रशिक्षण प्रारूप दिन- 2

2-दिन	विषय-वस्तु	क्रियाविधि	समय
सत्र-1	गीत पिछले प्रशिक्षण को याद करना	कोई गीत जो महिलाएँ नया सीखी है या अभी सीखना चाहती हो। पिछले प्रशिक्षण में क्या सीखा और क्या याद है? अगर कुछ काम किए हैं तो वो भी साँझा कर सकते हैं।	20 मिनट
सत्र-2	मौलिक अधिकार क्या हैं और हमारे ज़िंदगी से कैसे जुड़े हैं? नागरिकता और उससे जुड़ी ज़िम्मेदारी ग्राम सभा	जीने के लिए क्या- क्या ज़रुरी है? पोस्टर के माध्यम से समझना है और अपने ज़िंदगी से जुड़ी कहानी साँझा करना। भारत का नागरिक कौन है और नागरिकता की क्या क्या पहचान है? पोस्टर के माध्यम से ग्राम सभा के नियमवाली एवं महिलाओं की भागीदारी समझना है।	90 मिनट
सत्र-3	मुख्य सरकारी संस्थान और हमारी पहुँच	ANANDI फ़्लेक्स- संस्थान तक पहुँच। चर्चा और अपनी स्थिति का आंकलन।	60 मिनट
सत्र-4	VO SAC की योजना	SAC सदस्यों के बीच चर्चा एवं आगे की कार्य योजना पर काम।	40 मिनट

01 सत्र

(20 मिनट)

हमने क्या सीखा और क्या समझा

एक गाने से शुरू करेंगे और फिर प्रशिक्षक इन सवालों से चर्चा शुरू करेंगे:

- पिछले सत्र में हमने क्या क्या चर्चा किया था?
- कौन कौन सी बातें हमें याद है?
- क्या हमने ये बातें किसी और से भी साँझा की?
- क्या हमने कुछ काम भी किया? अगर हाँ है तो क्या किया?

02 सत्र

(90 मिनट)

संविधान के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों के बारे में समझ बढ़ाना
महिलाओं से जुड़े कानून को भी संक्षेप में समझना
जिम्मेदार नागरिक के कर्त्तव्य समझना

आवश्यक सामग्री-

मौलिक अधिकार वाला पोस्टर, महिलाओं का अधिकार वाला पोस्टर, ग्राम सभा के पोस्टर

पद्धति:

पोस्टर्स के माध्यम से समझ बनाना एवं आपसी चर्चा करना है।

प्रशिक्षक VO-SAC के दीदियों को संबोधन करते हुए पूछेंगे कि अब तक हमने लैंगिक अंतर, जाति अंतर और उसके प्रभाव महिलाओं के ऊपर समझे। अब हम लोग हमारा संविधान और महिलाओं के अधिकार जो संविधान हमे देता है उसके बारे में समझेंगे। आप लोग तैयार हैं?

क्या हमने कभी संविधान के बारे में सुना है? अगर सुना है तो संविधान क्या है?

दीदियों से चर्चा आने के बाद ट्रेनर उन्हें बतायें कि संविधान एक किताब है जिसमें हमारे देश चलाने का नियम लिखा गया है। यानि देश चलाने के लिए जो भी नियम कानून चाहिए वह संविधान में लिखा गया है। इसके साथ ही इसमें हम नागरिकों को मिलने वाले अधिकार के बारे में भी बताया गया है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो देश को चलाने के लिए नियम कानूनों की जरुरत थी जैसे हम भी अपने ग्रुप बनाते समय नियम बनाते हैं ना!

देश के आजादी के दौरान लगभग 300 लोग जिसमें 11 महिलाएं भी थी, उन्होंने मिलकर आने वाले समय के लिए हम नागरिकों और देश को अच्छे से चलाने के लिए नियम सोचे थे। लगभग 3 साल का समय लगा था इसको तैयार होने में। 26 जनवरी 1950 में यह संविधान हमारे देश में लागू किया गया था इसीलिए हम लोग उस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं।

हम लोगों ने बात किया कि संविधान नागरिको के हित के लिए भी अधिकार बनाते हैं। यह नागरिक का क्या मतलब होता है? क्या हम भी नागरिक हैं?

दीदियों से चर्चा आने के बाद ट्रेनर उन्हें बतायें कि भारत का नागरिक वह है जिसका जन्म भारत देश में हुआ है। सभी जो भारत में जन्म लेते हैं वो नागरिक हैं। यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्म नहीं लेता है किन्तु उसके माता-पिता दोनों या दोनों में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो तो वह भारत का नागरिक होगा। भारत का संविधान लागू होने के पांच साल पहले से भारत में रह रहा हर व्यक्ति भारत का नागरिक होगा।

हम सुनते भी हैं कि हम नागरिकों को जिम्मेदार होने चाहिए, तो बताइए की यह जिम्मेदार नागरिक क्या होता है?

दीदियों से चर्चा आने के बाद ट्रेनर उन्हें बतायें कि हम तभी जिम्मेदार नागरिक कहलायेंगे जब हम-

- अपने परिवार में, आसपास, समूह में, गांव में अन्याय और भेदभाव को पहचाने और उस पर कदम उठाएं।
- संविधान के मूल्यों पर यानि समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर चले। भेदभाव न करें।
- नियम कानून का पालन करें।
- नियम कानून का पालन नहीं हो रहा हो तो कदम उठाएं।
- अपने अधिकार पाने के लिए कदम उठाएं।
- समूह के लोगों के अधिकार के लिए भी कदम उठाएं।
- सरकार की बनायी हुई सार्वजनिक संपति और सुविधाओं का सही उपयोग करें जैसे कि स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल।

अब बात को आगे बढ़ाते हुए कहें कि संविधान में नागरिकों के हित के लिए मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। आखिर यह मौलिक अधिकार होते क्या हैं? और हम महिलाओं को कौन से अधिकार मिले हुए हैं?

दीदियों से चर्चा को सुनकर ट्रेनर अब उन्हें बतायें कि मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो इन्सान के रूप में जीने के लिए जरुरी हैं, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। अगर कोई हमें एक कमरे में बंद करे और कहे की आपको जीने के लिए हम रोटी, बढ़िया कपड़ा और मकान देंगे तो क्या आप एक कमरे में जिंदगी भर के लिए रहना पसंद करेंगी? नहीं न! यानी अच्छी ज़िन्दगी के लिए हमारी बहुत सारी जरुरत होगी जो एक कमरे में बंद होकर हम नहीं कर पाएंगे। हमारी आजादी हमसे छिन जाएगी, हमारी बातों को कोई नहीं सुनेगा।

क्या आप कह सकते हो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके बिना हमारा जीवन मुश्किल है?

हमे 6 मौलिक अधिकार संविधान द्वारा मिले हैं और इसके अलावा भी अन्य अधिकार संविधान हम महिलाओं को देता है। पहले हम सब मौलिक अधिकार समझते हैं।

वे अधिकार जो मौलिक (मूल संबंधी) होने के कारण संविधान द्वारा व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ऐसे अधिकार जो इन्सान के रूप में जीने के लिए जरुरी है, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है।

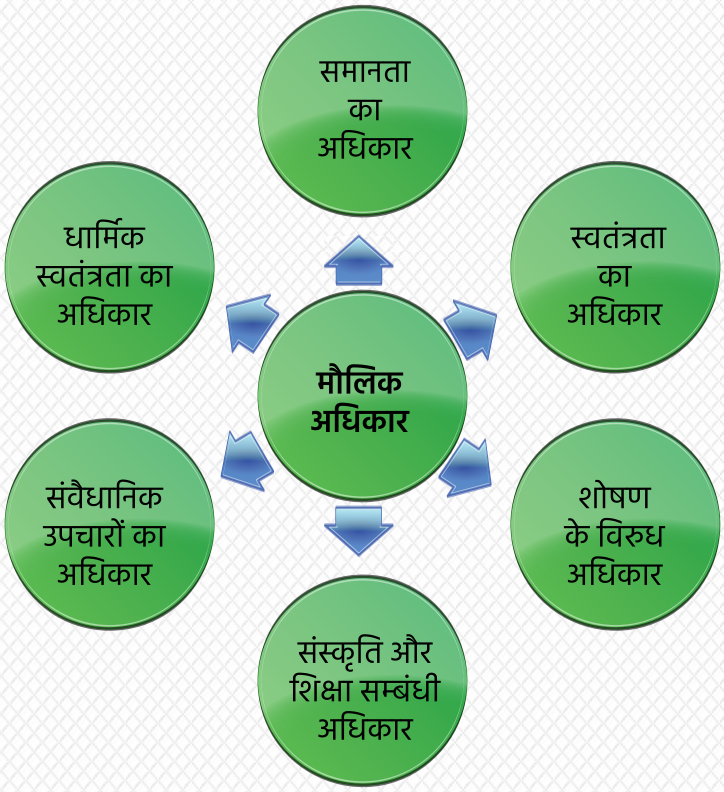

समानता का अधिकार:

इसके अंतर्गत कानून की नजर में सभी समान है। किसी के साथ भी धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी नागरिकों को सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्राप्त होंगे।

स्वतंत्रता का अधिकार:

इसके अंतर्गत बोलने और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के एकत्रित होने, संघ बनाने व संपत्ति की स्वतंत्रता, किसी भी स्थान पर आवागमन और निवास की स्वतंत्रता, किसी भी प्रकार का व्यवसाय व आजीविका चलाने की स्वतंत्रता (कुछ अधिकारों की सीमा निर्धारित की गई है) इत्यादि शामिल है।

शोषण के विरुद्ध अधिकार:

इस अधिकार में बाल-श्रम, मानव-व्यापार, बेगार, इंसानों के प्रति दुर्व्यवहार को दंडनीय अपराध माना गया है। मनुष्य के क्रय-विक्रय और बेगार पर रोक और बाल श्रम अर्थात् बच्चों को कारखानों, खानों अन्य किसी जोखिम भरे काम पर आदि में नौकर रखने का निषेध।

धार्मिक-स्वतंत्रता का अधिकार:

किसी भी धर्म को मानने, उस पर विश्वास करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता।

संस्कृति व शिक्षा का अधिकार:

सभी नागरिकों को अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि को सुरक्षित रखने की स्वतंत्रता है। सभी अल्पसख्यक वर्गों के लोग अपनी संस्कृति की रक्षा करने का प्रावधान है। राज्य के 6 से 14 वर्ष के आयु के सब बच्चों को निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा कानूनी रुप से स्वीकृत तरीके से प्रदान करनी होगी।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार:

अगर किसी भी नागरिकों की मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है।

क्या वे कोई कानून के बारे में जानती हैं जो महिला हितो को ध्यान में रखकर बनाया गया है?

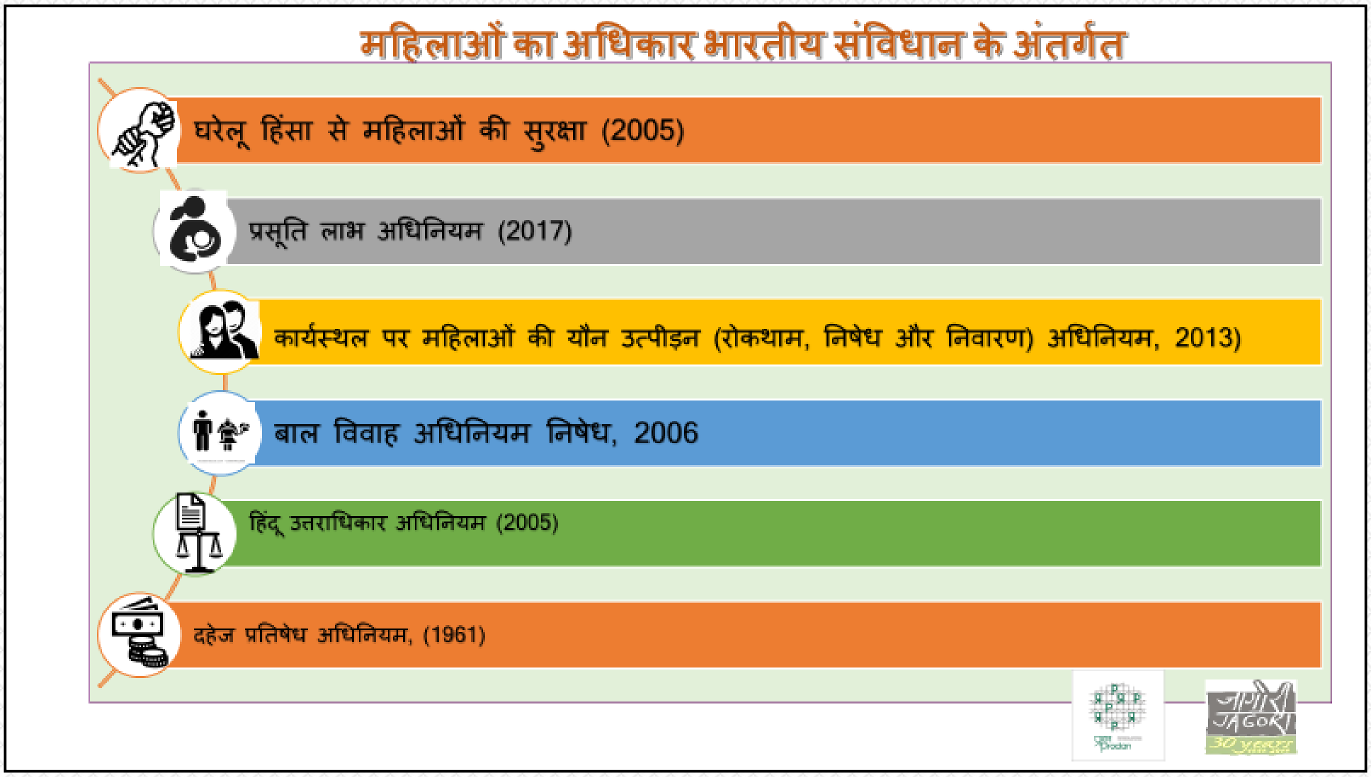

पंचायत एवं ग्रामसभा

त्रिस्तरीय पंचायत

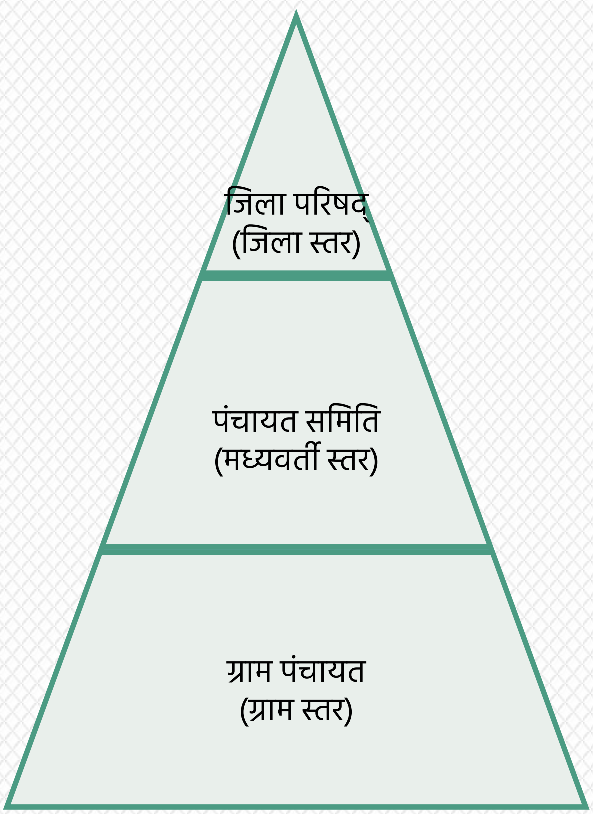

किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। सभी पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की देखरेख रखती है।

कई ग्राम पंचायतों को मिला कर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं।

त्रिस्तरीय पंचायती राज में प्रारम्भिक स्तर की संस्था ग्राम पंचायत सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। ग्राम पंचायत ही निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक ऐसी संस्था है जिसे जनता के आमने-सामने हो कर जवाब देना पड़ता है तथा अधिकांश कार्यकलापों के लिए निर्णय लेने हेतु पहले उनकी सहमति लेनी होती है।

ग्राम सभा की नियमावली

- ग्राम सभा में गणपूर्ति(कोरम)- ग्राम सभा कि गणपूर्ति ग्राम सभा के कुल सदस्यों की 1/10 भाग की उपस्थिति जिसमे कम से कम 1/3 भाग महिला होंगी
- पीठासीन पदाधिकारी- ग्राम सभा में बैठक की अध्यक्षता मुखिया और उनकी अनुपस्थिति में उप मुखिया करेंगे
- मुखिया और उप मुखिया की अनुपस्थिति में ग्राम सभा द्वारा चुने हुए व्यक्ति ग्राम सभा के अध्यक्ष होंगे
- कोरम पूरा नहीं होने पर पीठासीन पदाधिकारी उस बैठक को अगामी तिथि एवं समय के लिए स्थगित कर देगा
- ऐसी स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी
- ऐसी स्थगित बैठक के लिए नए विषय पर विचार नहीं किया जायेगा

ग्राम सभा के कर्त्तव्य

- गांव से सम्बंधित विकास योजनाओं के कार्यान्वियन में सहायता प्रदान करना
- योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए लाभार्थियों की पहचान करना
- सामुदायिक-कल्याण कार्यक्रमों के लिए लोगों का सहयोग प्राप्त करना
- गांव में वयस्क शिक्षा और परिवार कल्याण कार्यक्रम
- समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और सौहार्द को बढ़ाना
- मुखिया एवं सदस्यों से लेखा-जोखा एवं योजनाओं के सम्बन्ध में पूछताछ
- निगरानी समिति के प्रतिवेदन पर विचार करना
- गाँव के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये कोई भी योजना, वार्षिक योजना, प्रोजेक्ट का अमलीकरण से पहले मंजूरी देना
- ग्राम सभा के वार्षिक बजट को सुनकर उस पर सुझाव देना
- ग्राम पंचायत आयोजित कार्यक्रम, प्रोजेक्ट; योजनाओं और कोष का अमलीकरण ठीक से कर रही है कि नहीं उसका पता लगाना और उसे प्रमाणित करना

प्रशिक्षक पोस्टर दिखाते हुए सभी को बताएँ और प्रतिभागियों का अनुभव भी पूछें जैसे- क्या आप ग्राम सभा जाते है? क्या क्या मुद्दा उठाया है? चर्चा को समेटते हुए लोगों की प्रतिक्रिया भी पूछें।

03 सत्र

(60 मिनट)

महिलाओं की सरकारी संस्थानों के बारे में समझ इन संस्थानों तक उनकी पहुँच और निर्णय

आवश्यक सामग्री-

ANANDI पोस्टर

पद्धति:

"ANANDI का संस्थान तक पहुँच" पोस्टर को बीच में रखें और पूछें कि क्या इन संस्थानों को हम जानते हैं? कभी गए हैं? इस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करें-

जहाँ जहाँ तक गए हैं वहाँ तक स्केच पेन से लाइन खींचे। उन्ही संस्थान को चिन्हित करेंगे जहाँ वो सामूहिक तौर पर एक साथ गए हैं या अपने निजी काम के लिए गए हैं लेकिन ज़्यादातर लोग गए हैं। जिन संस्थानों के बारे में उनके पास जानकारी है वहाँ बॉक्स में टिक मारें। दो तीन जानकारी पूछ भी सकते हैं। जहाँ जहाँ निर्णय ले पाए हैं या अपने आवेदन के माध्यम से अपनी बात रख पाएँ हैं वहाँ पर एक लकीर खींचना है। ध्यान रहे यह कार्य चर्चा के साथ करना है ताकि लोगों की समझ भी बन सके। ज़रूरत पड़ने पर उदाहरण भी दें और लोगों से भी पूछें।

शुरु में तीन चार संस्थान पर ही ज़्यादा ध्यान देकर चर्चा करें ताकि आगे की योजना भी बन सके।

04 सत्र

(40 मिनट)

आज के जानकारी और चर्चा के बाद आगे की कार्य योजना

पद्धति:

अभी तक हुए सभी सत्रों से SAC सदस्य क्या क्या सीख पाए और इनमें से क्या क्या अभी तुरंत अगले तीन महीने में करना चाहेंगे। योजना बनाने के लिए यह ढाँचा इस्तेमाल कर सकते हैं-

मुद्दों की पहचान	क्या करेंगे	कैसे करेंगे	क्या सहयोग चाहिए

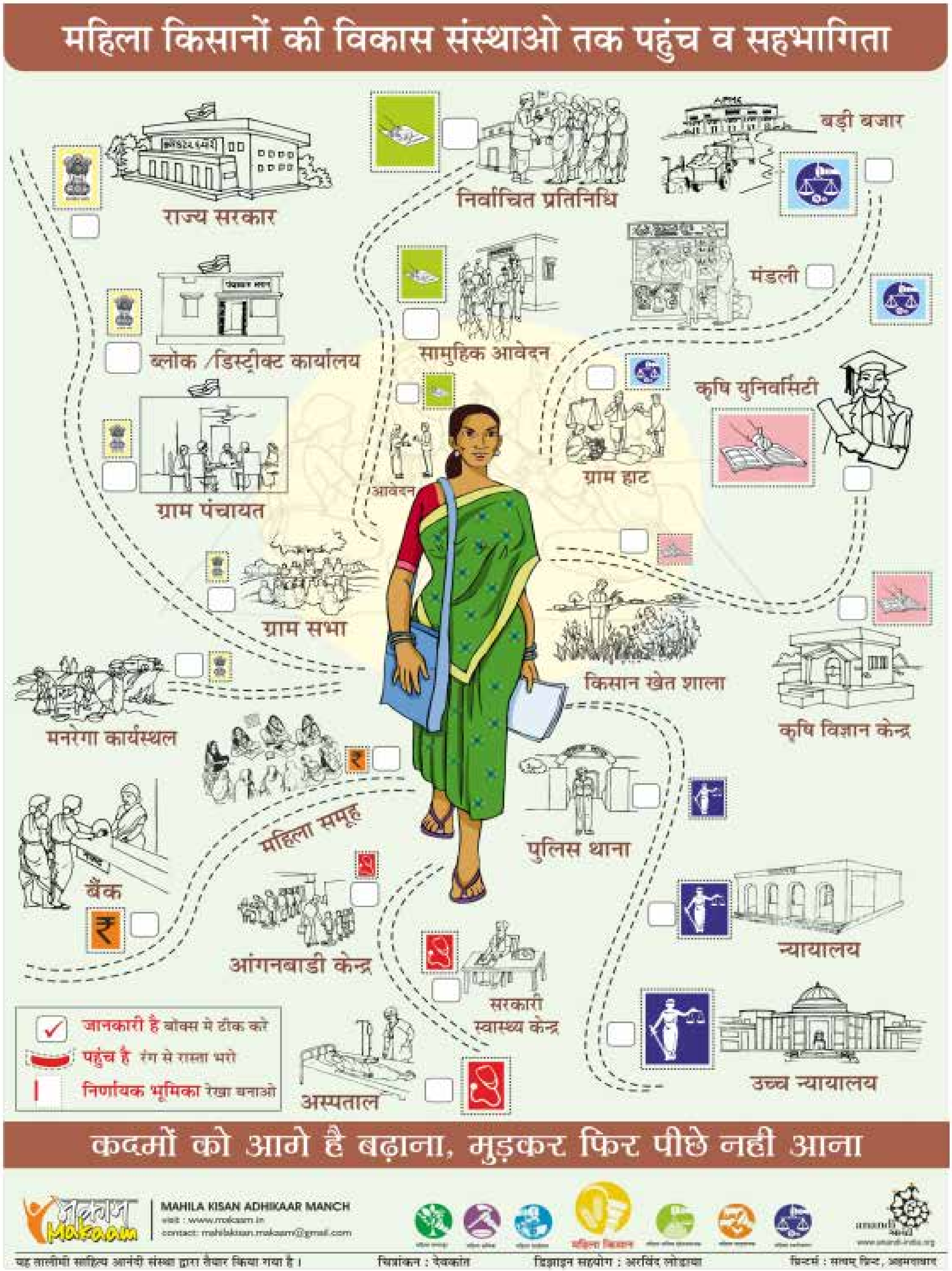
महिला किसानों की विकास संस्थाओ तक पहुंच व सहभागिता
राज्य सरकार
निर्वाचित प्रतिनिधि
बड़ी बजार
मंडली
सामुहिक आवेदन
ब्लोक /डिस्ट्रीक्ट कार्यालय
कृषि युनिवर्सिटी
ग्राम हाट
आवेदन
ग्राम पंचायत
ग्राम सभा
किसान खेत शाला
मनरेगा कार्यस्थल
कृषि विज्ञान केन्द्र
महिला समूह
पुलिस थाना
बैंक
न्यायालय
आंगनबाडी केन्द्र
सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र
जानकारी है बोक्स मे टीक करो
पहुंच है रंग से रास्ता भरो
निर्णायक भूमिका रेखा बनाओ
अस्पताल
उच्च न्यायालय
कदमों को आगे है बढ़ाना, मुड़कर फिर पीछे नही आना
MAHILA KISAN ADHIKAAR MANCH
महिला किसान
यह तालीमी साहित्य आनंदी संस्था द्वारा तैयार किया गया है।
चित्रांकन : देवकांत
डिझाइन सहयोग : अरविंद लोढाया

प्रशिक्षण मोड्यूल: तीसरा दिन

उद्देश्य

VO-SAC सदस्यों को सरकारी योजनाओं और अधिकारों के बारे विस्तार से जानकारी देना |

यह साँझा करना कि जिन औरतों और लड़कियों के साथ हिंसा होती है, उन्हें सहयोग कैसे और कहाँ से मिल सकता है |

महिला हिंसा से संबंधित कानून और अधिकार पर समझ बढ़ाना एवं महिला सर्वाइवर की मदद कैसे करनी चाहिए |

VO SAC, सखी मंच, बदलाव मंच और बदलाव दीदी की भूमिका के बारे में जानना, VO-SAC की बैठक, नियम एवं कार्य-योजना |

प्रशिक्षण प्रारूप दिन- 3

दिन3-	विषय-वस्तु	क्रियाविधि	समय
पहला सत्र	गाना हमने पिछले ट्रेनिंग में क्या सीखा क्या क्या किया	चर्चा और विचार रखना प्रक्रिया: माइक्रो-लैब (प्रत्येक प्रश्न के लिए 3-4 मिनट समय दिया जायेगा) खास बातें क्या थी, कौन सी बातें अच्छी लगीं? आदि	30 मिनट
दूसरा सत्र	राज्य और केंद्रीय योजनाएं और प्रावधान योजनाओं तक पहुँचने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया इसमें SAC सदस्यों की भूमिका एवं इसे करने के लिए क्या सहयोग चाहिए	पोस्टर / फ्लेक्स (संविधान और सरकारी योजनाओं वाला पोस्टर) चर्चा और बातचीत संविधान गीत के माध्यम से अधिकारों के बारे बताना	30 मिनट
तीसरा सत्र	महिला हिंसा और सहयोग कैसे मिल सकता है महिला हिंसा के खिलाफ कानून और महिलाओं के कानूनी अधिकार यौन हिंसा, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न महिला हिंसा सर्वाइवर को सहयोग कैसे दे सकते हैं और सक्रिय होकर कैसे सुनते हैं पीड़िता से चेंज एजेंट तक की यात्रा में सहयोग	याद करना कि हमने पहली ट्रेनिंग में महिला हिंसा के बारे में क्या सीखा और क्या समझा एफ.आई.आर दर्ज कराने पर पोस्टर, घरेलु हिंसा रोकथाम कानून पर पोस्टर, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न पर पोस्टर, हेल्पलाइन नंबर और सहयोग सेवाओं के नंबर का पोस्टर, पीड़िता से चेंज एजेंट तक की सफर पर पोस्टर सत्र के विषयों पर चर्चा और बातचीत	100 मिनट
चौथा सत्र	सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए संस्थागत संरचना VO SAC महिला हिंसा और सामाजिक मुद्दों पर कैसे काम करते है साथ में एक्शन प्लान बनाना	सामूहिक चर्चा और पोस्टर एक्शन प्लान	60 मिनट

01 सत्र

(30 मिनट)

पिछले दो चरणों में हुई प्रशिक्षण का दुहरावा
आज के प्रशिक्षण के लिए महौल तैयार करना

आवश्यक सामग्री-

गाना पुस्तिका / गाने का बोल प्रिंट किया हुआ पन्ना

पद्धति:

'आओ मिल जुल गाएँ' पुस्तिका से पृष्ट संख्या 100 पर गाना है- 'नारी शारीर पर अत्याचार नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे' | हम सब मिलकर गायेंगे | जानने वाली दीदियाँ पहले गायेंगी और बाकि दीदियाँ उनके पीछे-पीछे दुहरावा करेंगी |

माइक्रो लैब

पिछले दो प्रशिक्षणों में हमने क्या सीखा/ समझा?

फैसिलिटेटर प्रतिभागियों को एक दूसरे को अभिवादन करते हुए घूमने के लिए बोलेंगे, प्रतिभागी एक दूसरे को अभिवादन करते हुए घूमेंगे। फैसिलिटेटर उनको दो-दो के ग्रुप में बांटने के लिए बोलेंगे एवं नीचे दिए प्रश्न को पूछेंगे। ऐसे फिर से प्रक्रिया को दुहराएँगे एवं अलग अलग ग्रुप से प्रतिभागियों को प्रश्न पूछेंगे |

(नीचे दिए गए प्रश्नों के बाद चुप होकर लोगों से बातें आने दें)

- पिछले सत्र में हमने क्या-क्या चर्चा किया था?
- कौन-कौन सी बातें आपको खास लगीं?
- क्या आपने उन बातों की चर्चा और बहनों के साथ की?
- क्या आपने उन मुद्दों पर कोई काम किया? अगर हाँ, तो क्या-क्या किया ?

02 सत्र

(30 मिनट)

राज्य व केंद्रीय सरकार योजनाओं पर समझ बढ़ाना
योजनाओं से लाभ पाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया जानना
VO-SAC की भूमिका और लाभुकों की मदद का रास्ता

आवश्यक सामग्री-

सरकारी योजना वाला पोस्टर, संविधान गीत की प्रति कापी

पद्धति:

सभी प्रतिभागियों को गोलाई में खड़ा होने का निर्देश दें | अगवाईकर्ता के पीछे-पीछे दुहराने का निर्देश देकर संविधान गीत शुरु करें | सरकारी योजनाओं का पोस्टर दिखा कर योजनाओं के बारे बताएं और उसे पाने की प्रक्रिया पर चर्चा करें | VO-SAC की भूमिका पर चर्चा करते हुवे सरकारी योजनाओं को लेने के लिए उनका सहयोग लेने का आग्रह करें ताकि संस्थागत तरीके से योजनाएँ जरूरतमंद लाभुकों तक पहुच पाए |

03 सत्र

(100 मिनट)

महिला हिंसा से संबंधित सहयोग की जानकारी
महिला हिंसा से संबंधित कानून व अधिकार पर समझ बढ़ाना
यह चर्चा करना कि सर्वाइवर की मदद कैसे करनी चाहिए

आवश्यक सामग्री-

एफ.आई.आर. दर्ज कराने पर पोस्टर, घरेलु हिंसा रोकथाम कानून पर पोस्टर, यौन उत्पीड़न पर पोस्टर, हेल्पलाइन नंबर और सहयोग सेवाओं के नंबर का पोस्टर, पीड़िता से चेंज एजेंट तक की एक पर पोस्टर

पद्धति:

याद करना कि हमने पहली ट्रेनिंग में महिला हिंसा के बारे में क्या सीखा और क्या समझा

- पहले सत्र में हमने महिला हिंसा के बारे में क्या बात की थी?
- क्या हमने किसी महिला सर्वाइवर को सहयोग दिया?
- क्या हमने महिला हिंसा पर जागरुकता फैलाने का काम किया?

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना

विवरण

- यह योजना 18 या अधिक वर्ष की आयु के 80% दिव्यांग व्यक्ति/अथवा बौनों के लिए है।
- प्रत्येक लाभार्थी प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 1000/- रुपये।

सम्पर्क माध्यम

१) वार्ड सदस्य, पंचायत सेवक/ ग्राम सेवक
२) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ अंचल विकास पदाधिकारी

दस्तावेज़

१) आवेदन पत्र
२) दिव्यांग प्रमाण पत्र
३) आयु के प्रमाण हेतु दस्तावेज़ (आधार कार्ड/ मतदाता कार्ड/ राशन कार्ड)
४) बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
५) आवास प्रमाण पत्र

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

विशिष्ट जनजातीय समूह पेंशन योजना

विवरण

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) में शामिल परिवार को प्रति माह 1000/- रुपए प्रतिमाह की दर से पेंशन प्राप्त करने की पात्र है।

सम्पर्क माध्यम

१) वार्ड सदस्य, मुखिया-पंचयत सेवक/ ग्राम सेवक
२) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ अंचल विकास पदाधिकारी

दस्तावेज़

१) आवेदन पत्र
२) आयु के प्रमाण हेतु दस्तावेज़ (आधार कार्ड/ मतदाता कार्ड/ राशन कार्ड)
३) बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
४) महिला का होना जरुरी
५) आवास प्रमाण पत्र

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

विवरण

- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 60 से 79 वर्ष की आयु के व्यक्ति 1000/रुपये प्रतिमाह की दर।
- साथ ही जिनकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है, उन्हें ....) रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दिये जाने का प्रावधान है।

सम्पर्क माध्यम

१) वार्ड सदस्य, मुखिया-पंचयत सेवक/ ग्राम सेवक
२) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ अंचल विकास पदाधिकारी/ अंचल विकास पदाधिकारी

दस्तावेज़

१) आवेदन पत्र
२) आयु के प्रमाण हेतु दस्तावेज़ (आधार कार्ड/ मतदाता कार्ड/ राशन कार्ड)
३) बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
४) कोई अन्य पेंशन न मिल रह हो

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना

विवरण

- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिलायें 1000 (एक हज़ार) रुपये प्रतिमाह की दर।
- यदि सुची में नाम नहीं है तो अन्नपूर्णा का राशन मिलेगा।

सम्पर्क माध्यम

१) वार्ड सदस्य, मुखिया-पंचयत सेवक/ ग्राम सेवक
२) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ अंचल विकास पदाधिकारी

दस्तावेज़

१) आवेदन पत्र
२) आयु के प्रमाण हेतु दस्तावेज़ (आधार कार्ड/ मतदाता कार्ड/ राशन कार्ड)
३) पासपोर्ट आकार का फोटो
४) बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
५) पति की मौत का प्रमाण पत्र/ मुखिया की अनुशंसा
६) आवास प्रमाण पत्र पिछले ५ साल तक का

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

हिंसा होने पर कहाँ से मदद मिल सकती है?

पुलिस थाना / महिला थाना (एफ.आई.आर दर्ज करना)

कौन एफ.आई.आर. दर्ज कर सकता है?

पीड़िता, गवाह या कोई अन्य जिसके पास जानकारी है

हम इसे कहां दर्ज कर सकते हैं?

अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में वे शिकायत दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकते ।

एफ.आई.आर. कब दर्ज हो सकता है?

इसे हिंसा या घटना होने के बाद तुरंत दर्ज करना होता है।

एफ.आई.आर. दर्ज करने की प्रक्रिया

अधिकारी को इसे लिखित रूप में दर्ज करना होगा; जो रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं, उन्हें पढ़ के सुनाना होगा ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि सब जानकारी सही है।

फिर, जिन्होंने एफ.आई.आर. लिखवाई हैं, उन्हें हस्ताक्षर करना होगा। पुलिस अधिकारी को आपको इसकी कॉपी देनी होगी, बिना पैसे लिये।

अगर एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुआ, तो क्या करें?

पुलिस अधीक्षक / उच्च अधिकारी डी.आई.जी, आई.जी.पी से मिलें। साथ ही एस.पी को लिखित शिकायत डाक से भेजें। वह या तो खुद जांच करेंगे या जांच का आदेश देंगे।

आप न्यायालय में एक निजी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं।

यदि, पुलिस आपको बताती है कि घटना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है, तो उन्हें शून्य* -एफ.आई.आर दर्ज करने के लिए कहें।

पुलिस थाने जाने से पहले

आईये जानें
अपने अधिकार
जानकारी को बनायें
अपना हथियार !

प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ़. आई. आर.) दर्ज कराते समय

- अपनी एफ़. आई. आर. दर्ज करना आपका हक़ है। पुलिस कर्मी एफ़. आई. आर. दर्ज करने से इन्कार नहीं कर सकते।
- एफ़. आई. आर. दर्ज करते समय अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को ज़रूर साथ ले जाएं।
- हस्ताक्षर करने से पहले दर्ज एफ़. आई. आर. खुद पढ़ें या किसी से पढ़वाएं।
- एफ़. आई. आर. की प्रति निःशुल्क दी जानी चाहिए। इसके लिए पैसे देने से इन्कार करें।
- यदि पुलिस आपकी एफ. आई. आर दर्ज करने से मना कर रही है तो फ़ौरन अपने इलाक़े के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट अथवा महिला संगठन से संपर्क करें।

पूछताछ के दौरान

- पूछताछ के लिए आपको पुलिस थाने या अन्य किसी जगह जाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
- पूछताछ आपके घर पर किसी पारिवारिक सदस्य की मौजूदगी में ही की जानी चाहिए।

गिरफ़्तारी के समय

- आपको गिरफ़्तारी का कारण बताया जाना चाहिए।
- गिरफ़्तारी के समय हथकड़ी लगाना ग़ैरक़ानूनी है, इसका विरोध करें।
- गिरफ़्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी अनिवार्य है। यदि पुलिस ऐसा नहीं करती है तो इसकी मांग करें।
- पुलिस स्टेशन ले जाते समय आपको हक़ है कि आप किसी रिश्तेदार या दोस्त को साथ ले जायें।

तलाशी के समय

- आपकी तलाशी केवल महिला पुलिस कर्मी ही ले सकती है।
- पुरुष पुलिस कर्मी का महिलाओं की तलाशी लेना ग़ैरक़ानूनी है।
- अपनी तलाशी से पहले आप मांग कर सकती हैं कि जो महिला पुलिस कर्मी आपकी तलाशी लेगी, उसकी भी तलाशी ली जाए।

हिरासत के दौरान

- आपको महिलाओं के बैरक में ही रखा जाना चाहिए।
- यदि पुलिस ने आपके साथ मारपीट की है या किसी और तरह से सताया है तो फ़ौरन मजिस्ट्रेट से मेडिकल जांच की मांग करें।

बी.आर.पी दीदी या बदलाव दीदी से सहयोग ले सकते हैं

- सर्वाइवर बदलाव दीदी/ बी.आर. पी दीदी को हिंसा के बारे में सूचित करें (बदलाव दीदी बी.आर.पी दीदी को सूचित करेंगी)
- बी.आर.पी दीदी VO और CLF-SAC के सदस्यों को सूचित करेंगी
- बी.आर.पी दीदी और VO के सदस्य सर्वाइवर के लिए एक सहायक और सुरक्षित वातावरण बनाएंगे
- बी.आर.पी दीदी और SAC के सदस्य पुलिस या अन्य अधिकारीयों को संपर्क करने में और न्याय दिलाने में सर्वाइवर की मदद करेंगे

ट्रेनर नोट: पोस्टर दिखाते हुए अन्य हेल्पलाइन, आश्रयघर और वनस्टॉप सेंटर के बारे में बताएँ

हेल्पलाइन नंबर	संस्था
9771432103	झारखंड पुलिस का महिला सेल
9693853019	AALI / आली
9431700003	महिला हेल्पलाइन
18003456531	मानव तस्करीकी रिपोर्ट करने के लिए हेल्पलाइन
0651-2401849	झारखंड राज्य महिला आयोग
0651-2401181	झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग
0651-2481520	झारखंड राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (झालसा)
8987608228, 8969212448	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (सिमडेगा)
06532-222171, 7319853377	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (गिरिडीह)
9955507955, 9955589677	घरेलू हिंसा की रिपोर्ट करने के लिए झारखंड राज्य सरकार के हेल्पलाइन
1098	चाइल्ड लाइन- बच्चों पर जारी हिंसा की रिपोर्ट करना
42244224, 9582909025	शक्तिवाहिनी

नारी निकेतन (महिलाओं के लिए आश्रय घर): गुमला: 8292686718, राँची: 8083576029

शान्ति सदन (उनके लिए जिन्हे मानसिक रोग हो): गुमला: 7763055888

वन स्टॉप सेंटर: चाईबासा : 9090700489; राँची : 9931523455;

जमशेदपुर : 06572221414, 7209407209; धनबाद : 9334261037

महिला हिंसा के खिलाफ कुछ कानून

घरलू हिंसा रोकथाम कानून, 2005

कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून, 2013

सी.आर.पी.सी संशोधन 2013 (जस्टिस वर्मा कमिटी संशोधन)

कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार, 1971

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (संशोधन 2005)

आई. पी. सी का सेक्शन 498 A: महिलाओं के प्रति क्रूरता के लिए सज़ा

महिलाओं के कुछ कानूनी अधिकार

यौन उत्पीड़न मामलों में गुमनामी बनाए रखने का अधिकार

रात में गिरफ्तार ना होने का अधिकार

मातृत्व लाभ का अधिकार

गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार

बलात्कार के मामलों में मुफ्त कानूनी मदद का अधिकार

पुश्तैनी संपत्ति पर समान अधिकार

मुफ्त कानूनी मदद का हक़

यौन उत्पीड़न एक्ट

यौन उत्पीड़न की शिकायत आंतरिक शिकायत समिति या स्थानिक शिकायत समिति में की जा सकती है

यौन उत्पीड़न में क्या क्या आता है?

- शारीरिक संपर्क और लाभ उठाना
- यौनिक सहयोग की मांग या अनुरोध करना
- यौनिक फब्तियां कसना
- अश्लील सामग्री दिखाना
- अन्य कोई अवांछित, शारीरिक, मौखिक या अमौखिक यौनिक व्यवहार

शिकायत में क्या क्या लिखा होना चाहिए?

- घटना का विवरण
- दिनांक व समय
- प्रतिवादी का नाम
- शिकायत कर्ता और प्रतिवादी के बीच कार्य संबंध

शिकायत कर्ता के अधिकार

- गोपनीयता और शिकायत समिति की तरफ़ से एक सुरक्षित स्थान और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार
- प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत गवाहों के साक्ष्य और सूची के साथ शिकायत की एक कॉपी
- अगर शिकायतकर्ता आपराधिक कार्यवाही की पैरवी करना चाहती है, तो उसे एफ.आई.आर दर्ज करने में मदद मिलने का अधिकार है
- यदि उसे डर है कि प्रतिवादी उसे डराएगा और धमकाएगा, तो प्रतिवादी की अनुपस्थिति में उस का बयान दर्ज किया जा सकता है
- अपील का अधिकार अगर वह शिकायत समिति की सिफारिशों / निष्कर्षों से संतुष्ट नहीं है

जिला अधिकारी के महत्वपूर्ण कर्त्तव्य	पीड़ित महिला के अन्य अधिकार	अगर यौन उत्पीड़न साबित हो जाता है तो स्थानीय शिकायत समिति जिला अधिकारी को सुझाव देगी कि
यौन उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना	स्थानांतरण (ट्रांसफर) लेना	उस व्यक्ति के वेतन में कटौती की जाए जिसने खिलाफ शिकायत की गयी है
स्थानिक शिकायत समिति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली जांच रिपोर्ट की निगरानी करना	3 महीने तक की छुट्टी लेना	अनुचित व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई की जाए

सहयोग प्रदान करने के लिए मूलभूत सिद्धांत

मानवाधिकारों के लिए सम्मान | लैंगिक समानता का बढ़ावा

- गोपनीयता सुनिश्चित करें
- शांति से और धैर्य से सुनिये, पीड़िता को दोष न दें
- आराम से पूछताछ करें और उसे अपने शब्दों में अपने अनुभव को व्यक्त करने दें
- सहायता सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करें; चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य सेवा के लिए रेफरल
- फॉलो-अप के महत्त्व पर जोर दें
- इशारों द्वारा उसे यह जानने दें कि आप सुन रहे हैं। जैसे : अपना सर हिलाएँ
- उसकी भावनाओं को स्वीकार करें
- उसे जो भी बोलना है, वह बोलने का मौका दें और पूछें "मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ?"
- अगर वह चाहे तो उसे बात करते रहने के लिए बढ़ावा दें और पूछें "क्या मुझे और कुछ बताना चाहोगी?"
- पता करने की कोशिश करें कि क्या उसके परिवार के बच्चे/ किशोर खतरे में हैं
- उसे और खतरे में न डालें
- उसे किस तरह का न्याय प्राप्त करना है, यह फैसला उसका होना चाहिए
- यह कभी ना बोलें की "इस तरह की हिंसा तो होती रहती है" हर प्रकार की हिंसा की निंदा करें!
- उसे बताएँ कि एफ.आई.आर कैसे फाइल करते हैं; कहाँ से मदद मिल सकती है ; अगले कदम क्या होने चाहिए

पीड़िता से चेंज एजेंट तक की यात्रा

पीड़िता

- हिंसा को 'झेलने' वाली महिला, सिर्फ तब तक जब तक वह समस्या से बाहर आने का निर्णय नहीं लेती।
- वह तकलीफ से बाहर आना चाहती है पर हिम्मत और साहस नहीं जुटा पाती।
- हिंसा के कारण उसका आत्म-विश्वास बहुत कमज़ोर हो जाता है।
- उसका सशक्तिकरण तब ही हो सकता है जब वह खुद मानसिक रूप से तैयार होकर अपनी लड़ाई के लिए आगे कदम बढाए।

सर्वाइवर

- हिंसा का सामना करने के लिए जब महिला मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार होती है और हिंसात्मक स्थिति से बाहर आने की तरफ कदम बढाती है।
- वह हिंसा को अस्वीकार करती है, बेहतर कल की कल्पना करती है और अपने (और अपने बच्चों के) लिए एक नए जीवन की सोच रखती है।
- वह अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के उपाय और तरीके तलाश करती है।

चेंज मेकर (बदलाव अपनाने वाली)

- जब सर्वाइवर हिंसा की ढांचागत समझ बनाने और बढ़ने लगती है।
- वह समझ लेती है कि उस पर हिंसा के लिए कौनसे कारक ज़िम्मेदार हैं और उन कारकों को बदलने के लिए उसे क्या करना होगा।
- वह माहौल को बदलने के लिए प्रेरित होती है और अपने व्यवहार और दूसरो के व्यवहार को सुधारने के लिए तैयार होती है।

चेंज एजेंट (बदलाव करने वाली)

- जब चेंज एजेंट दूसरों को भी इस मुहीम से जुड़ने की प्रेरणा देती है।
- एक कड़ी से कड़ी जोड़कर बदलाव की श्रृंखला को मज़बूत बनाने के लिए प्रयास करती है।

पीड़िता से चेंज एजेंट तक की यात्रा

पीड़िता
● हिंसा को झेलने वाली महिला, सिर्फ तब तक जब तक वह समस्या से बाहर आने का निर्णय नहीं लेती।
● वह तकलीफ से बाहर आना चाहती है पर हिम्मत और साहस नहीं जुटा पाती।
● हिंसा के कारण उसका आत्म-विश्वास बहुत कमज़ोर हो जाता है।
● उसका सशक्तिकरण तब ही हो सकता है जब वह खुद मानसिक रूप से तैयार होकर अपनी लड़ाई के लिए आगे कदम बढ़ाए।

सर्वाइवर
● हिंसा का सामना करने के लिए जब महिला मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार होती है और हिंसात्मक स्थिति से बाहर आने की तरफ कदम बढ़ाती है।
● वह हिंसा को अस्वीकार करती है, बेहतर कल की कल्पना करती है और अपने (और अपने बच्चों के) लिए एक नए जीवन की सोच रखती है।
● वह अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के उपाय और तरीके तलाश करती है।

चेंज मेकर (बदलाव अपनाने वाली)
● जब सर्वाइवर ढांचागत हिंसा की समझ बनाने की ओर बढ़ने लगती है। वह समझ लेती है कि उसपर हिंसा के लिए कौन से कारक ज़िम्मेदार हैं और उन कारकों को बदलने के लिए उसे क्या करना होगा।
● वह माहौल को बदलने के लिए प्रेरित होती है और अपने व्यवहार और
● दूसरो के व्यवहार को सुधारने के लिए तैयार होती है।

चेंज एजेंट (बदलाव करने वाली)
● जब चेंज एजेंट दूसरों को भी इस मुहीम से जुड़ने की प्रेरणा देती है।
● एक कड़ी से कड़ी जोड़कर बदलाव की श्रृंखला को मज़बूत बनाने के लिए प्रयास करती है।

प्रदान
Pradan
जागोरी
JAGORI

04 सत्र

सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए संस्थागत संरचना VO SAC महिला हिंसा और सामाजिक मुद्दों पर कैसे काम करें - एक्शन प्लान बनाना

आवश्यक सामग्री-

संस्थागत संरचना पर पोस्टर, चार्ट पेपर, मार्कर

पद्धतिः

प्रशिक्षक बोले, पिछले तीन दिन से बहुत कुछ जानकारी, शिक्षा एवं दक्षता मिली। यह सब जानकारी, शिक्षा एवं दक्षता के साथ कैसे समूह की महिलाएं को मदत करेंगे ? कुछ प्रतिभागीओं का उत्तर सुनने के वाद संस्थागत संरचना का पोस्टर दिखाते हुए समझाए की कैसे अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्लेटफार्म के माध्यम से सामाजिक मुद्दों पर काम करना है.

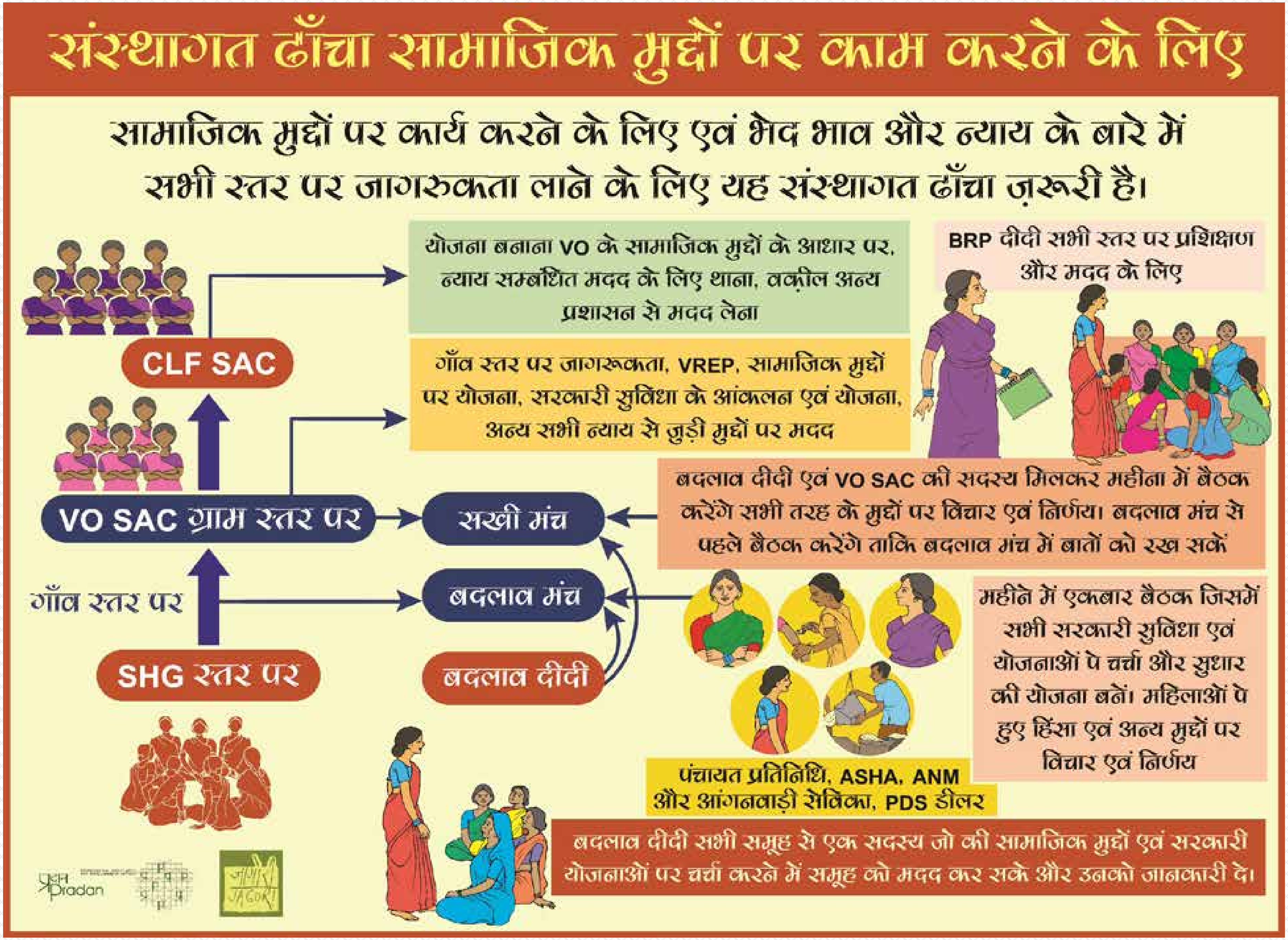
संस्थागत ढाँचा सामाजिक मुद्दों पर काम करने के लिए
सामाजिक मुद्दों पर कार्य करने के लिए एवं भेद भाव और न्याय के बारे में सभी स्तर पर जागरुकता लाने के लिए यह संस्थागत ढाँचा ज़रूरी है।
CLF SAC
VO SAC ग्राम स्तर पर
गाँव स्तर पर
SHG स्तर पर
योजना बनाना VO के सामाजिक मुद्दों के आधार पर, न्याय सम्बंधित मदद के लिए थाना, वक़ील अन्य प्रशासन से मदद लेना
गाँव स्तर पर जागरूकता, VREP, सामाजिक मुद्दों पर योजना, सरकारी सुविधा के आंकलन एवं योजना, अन्य सभी न्याय से जुड़ी मुद्दों पर मदद
BRP दीदी सभी स्तर पर प्रशिक्षण और मदद के लिए
सखी मंच
बदलाव मंच
बदलाव दीदी
बदलाव दीदी एवं VO SAC की सदस्य मिलकर महीना में बैठक करेंगे सभी तरह के मुद्दों पर विचार एवं निर्णय। बदलाव मंच से पहले बैठक करेंगे ताकि बदलाव मंच में बातों को रख सकें
महीने में एकबार बैठक जिसमें सभी सरकारी सुविधा एवं योजनाओं पे चर्चा और सुधार की योजना बनें। महिलाओं पे हुए हिंसा एवं अन्य मुद्दों पर विचार एवं निर्णय
पंचायत प्रतिनिधि, ASHA, ANM और आंगनवाड़ी सेविका, PDS डीलर
बदलाव दीदी सभी समूह से एक सदस्य जो की सामाजिक मुद्दों एवं सरकारी योजनाओं पर चर्चा करने में समूह को मदद कर सके और उनको जानकारी दे।
Pradan

एक्शन प्लान एवं फीडबैक:

प्रतिभागिओ को कहे अपना अपना VO में अगले 2-3 महीना में क्या क्या करना है उसका प्लान बनाने के लिए चर्चा करे। प्रशिक्षक मदत करे जैसे- VO में अपना शिख को बताना एवं चर्चा करना, VO -SAC का मीटिंग करना एवं EC मीटिंग में सामाजिक मुद्दों को लाना, अपनी एरिया की मुद्दों चयन करना एवं BRP के साथ मिलके मुद्दों को समझना एवं अगर कोई मुद्दों आते है तो उसकी हल करने में मदत करना ---- आदि।

प्रतिभागिओ द्वारा एक्शन प्लान की प्रस्तुति।